

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 244 / 2023 (2023 / 628)

अनवान

1. मधु देवी पत्नी किशनलाल छीपा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. ममता देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार सुराणा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. भारती देवी पत्नी मोहन टेकचंदानी नि.शास्त्रीनगर , चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्री राज.सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार साहब , चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

स्थिति : श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 05/08/26



सक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर के खाता संख्या 94 मे वर्णित आराजी नम्बर 693 रकबा 0.2400 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटंवाडा के यह वाद पत्र पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 28.07.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2025/1461 दिनांक 11.09.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से अन्तिम डिक्री पारित किए

(बीनू देवल)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ (राज.)



ज्ञाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण के कथनों पर मनन किया। वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 94 में वर्णित आराजी 693 रकबा 0.24 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	भारती देवी पत्नी मोहन टेकचन्दानी सा. शास्त्रीनगर चित्तौडगढ	693 मे से	0.16	गै.मु. पाल	—
	कुल किता	01	0.16	—	—
2.	मधु देवी पत्नी किशनलाल 1/2 छीपा सा. चित्तौडगढ ममता देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार 1/2 सुराणा सा.चित्तौडगढ	693 मे से	0.08	गै.मु. पाल	—
	कुल किता	01	0.08	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(निर्णय देवरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिवक्ता  
चित्तौडगढ (पम्.)

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बर्डजलास श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. मधु देवी पत्नी किशनलाल छीपा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. ममता देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार सुराणा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. भारती देवी पत्नी मोहन टेकचंदानी नि.शास्त्रीनगर , चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्री राज.सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार साहब , चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 244 / 2023 (2023 / 628)

वादीगण की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 94 मे वर्णित आराजी 693 रकबा 0.24 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	भारती देवी पत्नी मोहन टेकचन्दानी सा. शास्त्रीनगर चित्तौडगढ कुल किता	693 मे से	0.16	गै.मु. पाल	—
2.	मधु देवी पत्नी किशनलाल 1/2 छीपा सा. चित्तौडगढ ममता देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार 1/2 सुराणा सा.चित्तौडगढ कुल किता	693 मे से	0.08	गै.मु. पाल	—
	कुल किता	01	0.08	—	—


उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 05/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

सहायक न्यायाधीश एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ (ब.व.)



जव्हा ११५ - गणेशपुरा पैका १०० = ४०००  
प्रस्तावित विभाजन



Bhauji

Dr. महसीनदार  
बितीरगाव

8.9.25  
महेश कुमार सुखवाल  
पटवार बाबू...  
बितीरगाव